



2026:AHC:125949

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18815/2026

राजेन्द्र

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : नागेन्द्र कुमार सिंह
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिशु मिश्रा द्वारा दायर पर्चा अभिलेख में लिया गया।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता रिशु मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह, को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को अपराध संख्या- 109/2026, धाराएँ 137(2), 64(1) भारतीय न्याय संहिता तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, थाना डाटागंज, जिला बदायूँ, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. प्रारम्भ में ही विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील कर दी गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है। धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने कथन में उसने कहा है कि वह लगभग 19 वर्ष की है और वह आवेदक से प्रेम करती है, जबकि धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने कथन में उसने कहा है कि वह आवेदक को नहीं जानती। उसने दोनों कथनों में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया है। आवेदक 15.4.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष है।

7. प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है, किन्तु पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और उसने धारा 180 और 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने कथनों में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया है।

8. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार करने के उपरांत, साथ ही विचारणाधीन कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, वर्ष 2025 ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038, तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, वर्ष 2024 ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **राजेन्द्र** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदारों एवं एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए तथा वह साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

12. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि **जमानत प्रदान किए जाने संबंधी नीति रणनीति, स्वप्रेरणा से**

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संज्ञानित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक: 5 जून, 2026

माधुरीमा

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।